मुख्य विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2023 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन ओवर हेड टैंक निर्माण तथा पानी कनेक्शन के सत्यापन की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

उपस्थिति

1— जिला विकास अधिकारी
2— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण
3— जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी
4— प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी
5— पी०ओ०नेडा
6— जिला विकास अधिकारी
7— जिला कृषि रक्षा अधिकारी
8— अधीक्षक राजकीय उद्यान
9— खण्ड विकास अधिकारी, कैम्पियरगंज, भटहट, सहजनवॉ, पाली, जंगल कौड़िया, गगहा, बड़हलगंज, बांसगांव, बेलघाट,गोला, उरूवा, खजनी पिपरौली, सरदारनगर एवं चरगॉवा।
10— श्री सरोज जेना, डी०जी०एम०, एन०सी०सी०
11— श्री प्रसाद, तकनीकी अधिकारी, एन०सी०सी०
12— प्रोजेक्ट मैनेजर, ऋत्विक कोया
13— टीम लीडर मेघज व अन्य
14— जिला कोआर्डिनेटर डी०पी०एम०यू०, व अन्य स्टाफ
15— समस्त अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण

दिनांक 22-02-2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजें से बैठक आहुत किया गया। बैठक मे उपरोक्त समस्त अधिकारी उपस्थित रहें। जनपद गोरखपुर में मेसर्स ऋत्विक कोया एवं मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, हैदराबाद फर्म द्वारा जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत, पेयजल परियोजनाओ (ओवर हैड टैंक आदि निर्माण) का कार्य कराया जा रहा है। मेसर्स एन०सी०सी० के डी०जी०एम० श्री सरोज जेना द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 एवं फेज-3 में भूमि उपलब्ध है। भूमि से सम्बन्धित कोई इस्यू नही है। विकास खण्ड बेलघाट के 03 ग्राम पंचायत मंलाव, अवरारूट, एवं बेलयाखुर्द में ग्रामजन द्वारा सर्वे का कार्य नही करने दिया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की कोई भी समस्या को मुख्य राजस्व अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, तथा मुख्य विकास अधिकारी को अवश्य अवगत कराया जाय। मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण का तत्काल निस्तारण कराया जाय।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम/मे०एन०सी०सी०/मुख्य राजस्व अधिकारी)

मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, एवं मेसर्स ऋत्विक कोया के द्वारा जनपद के कुल 66 ग्रा०पं० मे पेयजल परियोजनाओं (ओवरहैड टैक आदि) के

निर्माण हेतु चिन्हांकित स्थलो पर अत्यधिक वृक्षो के होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति मे वृक्षो को कटवाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके कम में निर्देशित किया गया कि ऐसे चिन्हित स्थानो की सूची प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग को प्रेषित कर वृक्षो के काटने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत कराकर पेड़ कटवाया जाय, जिससे कार्य अति शीघ्र प्रारम्भ हो सकें।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0/प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग)

मेसर्स एन0सी0सी0 द्वारा डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु अवशेष पाया गया जिसके कम में निर्देशित किया गया, जिस भूमि की सर्वे कर लिया गया है उसका डी0पी0आर0 प्रत्येक दशा मे दिनांक 22.03.2022 में जनपदस्तर पर उपलब्ध कराया जाय। जिसे स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को भेजा जा सकें। यह भी निर्देशित किया गया कि जितने डी0पी0आर0 स्वीकृत हुये है तथा जितना रिपोर्ट में दर्शाया जा रहा है उसका मिलान कर लिया जाय। बैठक में उपस्थित टीम लीडर मेधज को निर्देशित किया गया है कि फर्मो द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का कम से कम 20 प्रतिशत का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0/मेधज)

मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के द्वारा जनपद के ग्राम पंचायतो में ओवर हेड टैंक आदि का निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर एप्रोच मार्ग न होने की 23 ग्राम पंचायतो की सूची एवं भूमि पर कोर्ट इश्यू स्टे आर्डर की 10 ग्राम पंचायतो की सूची उपलब्ध करायी गयी। अवगत कराया गया कि उक्त स्थलो पर एप्रोच मार्ग न होने एवं भूमि पर कोर्ट इश्यू स्टे होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरणो में भूमि विवाद को हल कराने एवं एप्रोच मार्ग हेतु भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0/मुख्य राजस्व अधिकारी)

मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतो में ओवर हेड टैंक आदि का निर्माण हेतु आवंटित स्थलो पर विद्युत विभाग द्वारा लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। जिससे कार्य कराने में असुविधा हो रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त आवंटित स्थलो पर प्रकरण के निस्तारण हेतु टीम बनाया जाय, जिसमें सम्बन्धित लेखपाल, अवर अभियन्ता विद्युत विभाग एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि हो। उक्त टीम द्वारा चयनित स्थलो का सर्वे कर सम्बन्धित प्रकरण का निस्तारण कर एक सप्ताह के अन्दर अवगत करायें।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0/मुख्य राजस्व अधिकारी)

मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के द्वारा ग्राम पंचायतो में ओवर हेड टैंक आदि का निर्माण हेतु 87 ग्राम पंचायतो की सूची उपलब्ध करायी गयी है जो लो–लैण्ड है। जिसे समतल बनाने हेतु अनुरोध किया गया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपायुक्त, श्रम रोजगार को निर्देशित किया गया कि सूची के अनुसार लो लैण्ड स्थलो को समतल कराए जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। सम्बन्धित फर्मो को यह भी निर्देशित किया गया कि लो लैण्ड की फीलिंग का अंकन स्टीमेट में दर्शाया जाय।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0/उपायुक्त श्रम रोजगार)

मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड एवं मेसर्स ऋत्विक कोया के द्वारा जनपद के ग्राम पंचायतो में ओवर हेड टैंक आदि का निर्माण एवं हाउस कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है। जिसका सत्यापन कार्य जनपदस्तरीय अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित अधिकारियो द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्यो की सूची उपलब्ध न होने के कारण सत्यापन कार्य नही हो पा रहा है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतो में हाउस कनेक्शन की सूची तत्काल उपलब्ध कराये। विगत माह की समीक्षा बैठक दिनांक 21.12.2022 को उक्त सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण द्वारा एक सप्ताह में सूची उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, परन्तु दो माह व्यतीत हो जाने के बाद भी आप द्वारा उक्त सूची उपलब्ध नही कराया गया है। इस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि ओवर हेड टैंक निर्माण एवं हाउस कनेक्शन की सूची तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, साथ ही अब तक सूची उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0/जिला विकास अधिकारी)

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि कम से कम 10 ग्राम पंचायतो में पेयजल परियोजना के निर्माण कार्य की जॉच कर आख्या उपलब्ध कराया जाय। संस्था द्वारा पाईप लाईन बिछाने के पश्चात सड़क को ठीक नही कराया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि सड़क की मरम्मत का कार्य तत्काल ठीक कराया जाय, जिससे ग्रामीण जन को आने जाने में कोई असुविधा न हो अन्यथा फर्म के विरूद्व उचित कार्यवाही कर दी जायेगी। अधिकारियो द्वारा उपलब्ध कराये गये जॉच आख्या के कम में निर्देशित किया गया कि जहॉ कार्यो की गुणवत्ता ठीक नही है उसके कम में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को स्पष्टीकरण जारी किया जाय।

27/02/23

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर